न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **397/2024** दायर दिनाँक **10.12.2024**

वादी

1. लादुसिंह पुत्र लखुसिंह जाति राजपुत निवासी छोटीखाटू तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र लखुसिंह
2. सुगन कंवर पत्नी लखुसिंह
3. मनोहर कंवर पुत्री लखुसिंह
4. अशोकसिंह पुत्र सदा कंवर
5. जीवराजसिंह पुत्र सदा कंवर जाति राजपुत निवासीगण छोटीखाटू तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन
6. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम खाटूखुर्द के खसरा संख्या 1894/540 रकबा 0.1650 है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 538 रकबा 0. 0150 है. गै.मु.सडक, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.6300 है. बारानी उत्तम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जा काश्त, स्वामित्व की अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 मनोहर कंवर, प्रतिवादी संख्या 4 अशोकसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 जीवराजसिंह को सामाजिक रिति–रिवाज के अनुसार उनका हक अदा कर दिया है, इसलिए इनका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं जोडा जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व नाना लखुसिंह के फौत हो चुके है इसलिए नामान्करण के लिए प्रतिवादीगण से इनका आधार कार्ड वादी द्वारा मांगने पर तथा उक्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का नामान्तकरण नहीं भरा गया है तथा उक्त खेताय की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के बीच नामान्तकरण को लेकर काफी विवाद हो जाने के कारण यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:12:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि–

राजस्व ग्राम खाटूखुर्द के खसरा संख्या 1894/540 रकबा 0.1650 है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0150 है. गै.मु.सडक, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.6300 है. बारानी उत्तम की भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के घोषणा खातेदारी की जावें इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खेत खसरान् की भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अंदाजी, बेचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा आदि करें तथा न ही अपने किसी एजेण्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से वकील मो. रफीक ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारीत रही तथा उन्होंने दावा डिक्री सादिर करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माफिक इस्तदुआ दावा स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन व तत्संबंधी विधि का अध्ययन किया गया। दौराने अवलोकन पाया कि वादी का वाद मुख्यतः लखुसिंह पुत्र नाहरसिंह के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाना चाहता है एवं वारिसात के नामान्तकरण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम हटवाने पर आधारित है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जरिये इकबालिया जवाब सहमति जाहिर की है। चूंकि नामान्तकरण की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार सक्षम है एवं सहमति की स्थिति में वादीगण जरिये हकत्याग प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का खातेदारी से हटवा सकता है। चुकिं नामान्तकरण एवं हकत्याग हेतु पक्षकारान सहमत है इस स्थिति में वादी का वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादी का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम खाटूखुर्द के खसरा संख्या 1894/540 रकबा 0.1650 है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0150 है. गै.मु.सडक, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.6300 है. बारानी उत्तम की भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना